

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

NAAC 'A+ Grade

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2025/133
दिनांक: 17.04.2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
अक्षय महिला महाविद्यालय,
पीयूष नगर, पहितिया, गाजीपुर

विषय:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 04.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 एवं 04 दिसम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० सुरेश चन्द्र मिश्रा	श्री देवता प्रसाद मिश्रा	25.07.1966	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

आधार संख्या-631366667613

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।



पत्रांक: वी.बी.यू.पत्रि. / प्रक.प्र. / 2024 / 1303
दिनांक: 06.03.24

प्रेषक

प्रबन्धक
अध्य महिला महाविद्यालय
राज्य नगर, पहेलिया, गाजीपुर।

विषय-स्वयित्त्वोपार्जित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवृत्ता पदों पर अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

नमोदय,

कृपया स्वयित्त्वोपार्जित विषयक अपने पत्र दिनांक-04.03.2024 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि शयम समिति द्वारा की गयी तरसुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधर पर विचारोपरान्त मंड कुलसचिव जी के आदेश दिनांक 30.03.2024 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 तथा 04 दिसम्बर 2013 के आलोक में स्वयित्त्वोपार्जित योजनान्तर्गत 5 वर्ष की संविदा के आधर पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रवृत्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजक अपने स्तर से ही कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1	रंजु आधार नं०-712986333841	श्री राम नयन यादव	18.11.1996	एम0ए0, नेट	प्रवृत्ता हिन्दी
2	डॉ० मनाज कुमार सिंह आधार नं०-865344958067	श्री ओम प्रकाश सिंह	25.07.1984	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रवृत्ता संस्कृत
3	डॉ० विजिन कुमार यादव आधार नं०-458756256958	श्री वीरन्द्र कुनार यादव	15.07.1990	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रवृत्ता समाजशास्त्र
4	डॉ० सुनीता आधार नं०-854588403526	श्री देसाई राम	04.08.1988	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रवृत्ता गृहविज्ञान
5	श्री वीर बहादुर सिंह आधार नं०-586257617972	श्री गौरीशंकर सिंह	20.02.1984	एम0ए0, नेट	प्रवृत्ता उर्दू
6	श्री राहुल कुमार गुप्ता आधार नं०-355178516841	श्री सुरेश कुमार गुप्ता	15.08.1992	एम0ए0, नेट	प्रवृत्ता सूरीति
7	डॉ० अक्षय कुमार आधार नं०-887821754015	श्री रामचैत गीता	08.07.1990	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रवृत्ता शिक्षाशास्त्र

अतः उपरोक्त का सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबंध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही शुभतान किया जाय तथा प्रवृत्ताओं के लिए अंशदायी नवविधनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

नवदीप